बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सं0–भवन / स्था0–02–विविध–86 / 2023......7259......... / पटना, दिनांक– 03/8/26

अधिसूचना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–14 दिनांक–27.02.2026 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील नम्बर–54 / 2026 (Arising out of SLP(C) No.-22323/2023) अभय कुमार पटेल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अन्य सदृश वाद में दिनांक–06.01.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में भवन निर्माण विभाग, बिहार के अधीन विज्ञापन सं0–01 / 2019 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की संशोधित अनुशंसा उपलब्ध करायी गई है।

2. परीक्षाफल में संशोधन के पश्चात् विभाग अन्तर्गत पूर्व में विज्ञापन सं0–01 / 2019 के अन्तर्गत अनुशंसित उम्मीदवारों में से 04 (चार) उम्मीदवार अब चयन की परिधि से बाहर हैं, ऐसे उम्मीवारों की सूची निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	रौल नम्बर	नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	110888	मो0 इश्तियाक आलम	अब अनुशंसा की परिधि से बाहर
2	101919	श्री मृत्युंजय कुमार	अब अनुशंसा की परिधि से बाहर
3	107116	श्री मनोज कुमार	अब अनुशंसा की परिधि से बाहर
4	113697	मो0 अतिउल्लाह	अब अनुशंसा की परिधि से बाहर

उक्त चार उम्मीदवारों में से क्रम सं0–1, 3 एवं 4 पर क्रमशः अंकित मो0 इश्तियाक आलम, श्री मनोज कुमार एवं मो0 अतिउल्लाह वर्त्तमान में विभागान्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर कार्यरत हैं।

3. पूर्व में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–50 दिनांक–14.11.2023 द्वारा भवन निर्माण विभाग के अधीन विज्ञापन सं0–01 / 2019 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधि0सं0–2030(भ) दिनांक–05.03.2024 द्वारा कुल 28 सहायक अभियंता (असैनिक) की नियुक्ति रिक्त पदों के विरुद्ध की गई।

विभागीय अधि0सं0–2030(भ) दिनांक–05.03.2024 के क्रम सं0–1, 3 एवं 24 द्वारा क्रमशः श्री मनोज कुमार, मो0 इश्तियाक आलम एवं मो0 अतिउल्लाह की नियुक्ति औपबंधिक रूप से सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर की गई।

4. विज्ञापन सं0–01 / 2019 के अन्तर्गत संशोधित अनुशंसाा में चयन की परिधि से बाहर हो रहे उम्मीदवारों के संबंध में सिविल अपील सं0–54 / 2026 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–06.01.2026 को पारित न्यायादेश में अंकित टिप्पणी निम्न प्रकार है:–

" 45. It has been informed that the State has made appointments pursuant to the impugned judgment of the High Court which stands set-aside, however, their services may be dispensed with, in accordance with law. We also make it clear that the direction as issued shall not have any adverse impact if the State of Bihar wishes to continue the services of the persons appointed as above, if they are deemed fit, on the vacancies available, if any, or by creating supernumerary post without affecting the merit list as indicated above."

5. बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं0–01 / 2019 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की संशोधित अनुशंसा में पूर्व में अनुशंसित उम्मीदवारों में से चयन की परिधि से बाहर हुये 04 (चार) उम्मीदवार जिनमें से 03 (तीन) उम्मीदवार वर्त्तमान में विभाग के अधीन सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर कार्यरत हैं, की सेवा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–54 / 2026 में दिनांक–06.01.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में बरकरार रखने के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श निम्नवत् है:–

कृ0पृ0उ0......................

"माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील नम्बर–54/2026 (Arising out of SLP(C) No.-22323/2023) अभय कुमार पटेल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अन्य सदृश वाद में दिनांक–06.01.2026 को पारित आदेश में चयन की परिधि से बाहर हो रहे उम्मीदवारों के संबंध में राज्य सरकार को निर्णय लेने हेतु निदेशित किया गया है कि यदि राज्य सरकार चाहे तो उपलब्ध रिक्ति अथवा छाया पद सृजित करके तथा मेरिट लिस्ट को प्रभावित किये बिना इनके संबंध में विचार कर सकती है। साथ ही सदृश्य मामले के संबंध में लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार द्वारा भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील सं0–54/2026 में दिनांक–06.01.2026 को पारित न्यायादेश की कंडिका–45 के आलोक में कार्रवाई करने हेतु अपनी सहमति दी गई है।"

6. अतएव माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या–54/2026 (Arising out of SLP(C) No.-22323/2023) अभय कुमार पटेल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा अन्य सदृश वाद में दिनांक–06.01.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं0–01/2019 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षाफल में संशोधन के उपरान्त विभागान्तर्गत पूर्व में अनुशंसित उम्मीदवारों में से चयन की परिधि से बाहर हुये वैसे निम्नांकित उम्मीदवारों जो वर्त्तमान में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर कार्यरत हैं, की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग एवं समरूप मामले में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के परामर्श के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित कर बरकरार रखी जाती हैः–

क्र0सं0	सहायक अभियंता (असैनिक) का नाम/गृह जिला/जन्म तिथि	अनुक्रमांक	वर्त्तमान पदस्थापन
1	2	3	4
1	मो0 इश्तियाक आलम/सहरसा/ 20.10.1987	110888	प्राक्कलन पदाधिकारी, भवन प्रमंडल, पूर्णियां।
2	श्री मनोज कुमार/सहरसा/ 02.02.1977	107116	अवर प्रमंडल सं0–01, भवन प्रमंडल, मधेपुरा।
3	मो0 अतिउल्लाह/पूर्वी चम्पारण/ 07.09.1990	113697	संरचना अवर प्रमंडल सं0–08, संरचना प्रमंडल सं0–03, पटना।

7. इस निर्णय के तहत सेवा में बरकरार रखे गये उपरोक्त सहायक अभियंता, विज्ञापन सं0–01/2019 के अन्तर्गत नियुक्त अन्य सहायक अभियंताओं से वरीयता सूची में सबसे नीचे रखे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

03.08.26

(ललित कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– भवन/स्था0–02–विविध–86/2023......7259 (M) **पटना, दिनांक–** 03/8/26

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

03.08.26
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– भवन/स्था0–02–विविध–86/2023......7259 (M) **पटना, दिनांक–** 03/8/26

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.08.26
सरकार के उप सचिव।

कृ0पृ0उ0.......................

ज्ञापांक– भवन/स्था0–02–विविध–86/2023......7259 (7)...... **पटना, दिनांक–** 03/8/26

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/माननीय विभागीय मंत्री भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक, बिहार/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/भवन निर्माण विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/निगरानी विभाग/लोकायुक्त, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता (असैनिक/विद्युत)/निदेशक, अनुश्रवण–सह–मूल्यांकन कोषांग, भवन निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों/सभी संबंधित सहायक अभियंता (असैनिक) एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.08.26

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक– भवन/स्था0–02–विविध–86/2023......7259 (7)...... **पटना, दिनांक–** 03/8/26

प्रतिलिपिः– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक–14 दिनांक–27.02.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.08.26

सरकार के उप सचिव।